भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1151

(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई जी के अंतर्गत आवासों का आवंटन

1151. श्री अरुण नेहरू:

श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवास का आवंटन पुराने सामाजिक-आर्थिक जाति (एसईसी) संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुराने आंकड़ों के कारण कई योग्य लोगों को उचित अवसर से वंचित किया गया है और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पीएमएवाई-जी के तहत कई पात्र व्यक्तियों के नाम विभिन्न कारणों से एसईसी आंकड़ों में शामिल नहीं किए जाने के कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं;

(घ) क्या कई अवांछित व्यक्तियों के नाम एसईसी आंकड़ों में शामिल होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ताकि पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ङ): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है , ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के

दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन" प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी)-2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों तथा संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा विधिवत सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने के आधार पर की जाती है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता की पहचान करने के लिए इन मापदंडों/मानकों को एसईसीसी 2011 डेटाबेस पर लागू किया गया था।

मध्यवर्ती अवधि के दौरान उत्पन्न हुई नई मांग को पूरा करने तथा एसईसीसी 2011 आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में पात्र लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण उत्पन्न अंतराल को पूरा करने की आवश्यकता थी। सरकार ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास+ 2018 सर्वेक्षण आयोजित किया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके , जिन्होंने दावा किया था कि वे एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण के तहत छूट गए थे और इस प्रकार संभावित पात्र लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई। आवास+ सर्वेक्षण के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 3.90 करोड़ वास्तविक पात्र परिवारों को पंजीकृत किया गया और ग्राम सभाओं द्वारा पुनर्निरीक्षण /सत्यापन के बाद राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 2.79 करोड़ परिवारों को वास्तविक रूप से पात्र पाया गया।

4.95 करोड़ परिवारों के कुल लक्ष्य में से , 2.105 करोड़ लाभार्थी परिवारों को एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण डेटाबेस से आवंटित किया गया है और 1.688 करोड़ परिवारों को ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन प्रक्रिया और उसके बाद अपीलीय प्रक्रिया के बाद आवास + सर्वेक्षण डेटाबेस से आवंटित किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना के अंतर्गत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करते हुए पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास + सूची को अद्यतन करने का भी अनुमोदन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुरूप , योजना के अंतर्गत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से संशोधित बहिष्करण मानदंडों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, जिसे पहले ही 17.09.2024 को शुरू किया जा चुका है।

*****